



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256519
CG-DL-E-21082024-256519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3214]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3214]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3530(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 544 तारीख 06 फरवरी 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552G के कि.मी. 143.9 से कि.मी.191.6 (उज्जैन झालावाड़ खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16 फरवरी 2024" को "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र में हिन्दी और "फ्री प्रैस" समाचार पत्र में इंगलिश दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552G के कि.मी. 143.9 से कि.मी.191.6 (उज्जैन झालावाड़ खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: आगर मालवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सुसनेर					
गांव का नाम: डोंगर गाँव सोयत					
1	1828/1	निजी (निजी)	कृषि भिन्न आशय	0.006	रामगोपाल पिता हीरालाल 1828/1
2	1828/2	निजी (निजी)	कृषि भिन्न आशय	0.002	कन्हैयालाल पिता हीरालाल 1828/2
3	1829/1	निजी (निजी)	कृषि भिन्न आशय	0.004	रामगोपाल पिता हीरालाल 1829/1
4	1829/2	निजी (निजी)	कृषि भिन्न आशय	0.01	कन्हैयालाल पिता

					हीरालाल 1829/2
				Total	0.022

[फा. सं. : PIU/IND/U-J/LA/3a/2018/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O.3530 (E). –Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **544 Dated:06/02/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH552G in the stretch of land from Km. 143.9 to Km. 191.6 (Ujjain-Jhalwar Section) in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” in hindi and “Free Press” both dated 16/February/2024 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH552G in the stretch of land from Km. 143.9 to Km. 191.6 (Ujjain-Jhalwar Section) in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: AGAR MALWA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6

Taluk: Susner					
Village: Dogar Gaon Soyat					
1	1828/1	Private	Diverted	0.006	Ramgopal S/o Heeralal 1828/1
2	1828/2	Private	Diverted	0.002	Kanhaiyalal S/o Heeralal 1828/2
3	1829/1	Private	Diverted	0.004	Ramgopal S/o Heeralal 1829/1
4	1829/2	Private	Diverted	0.01	Kanhaiyalal S/o Heeralal 1829/2
Total				0.022	

[F. No. PIU/IND/U-J/LA/3a/2018/3D]

ABHAY JAIN, Director